

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील-ऊखीमठ के अन्तर्गत हाट-बष्ठी मोटर मार्ग को एन०एच०-107 से जोड़ने के लिये मन्दाकिनी नदी पर शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु 0.060 है। वनभूमि भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।


N.P.V. की धनराशी का आंकलन


प्रमाणित किया जाता है भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3 /2007-एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० देयता निम्नानुसार है।

- 1.ईको - वलास श्रेणी----- V
- 2.हरियाली का घनत्व ----- 10-20
- 3.एन.पी.वी. की दर प्रति है----- 657000 = ∞
- 4.आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल 0.060 है
- 5.कुल देय N.P.V की धनराशी----- 39420 = ∞

  
वनक्षेत्राधिकारी  
अगस्त्यपुरा

  
उप-पर्यावरण संरक्षक  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग  
रुद्रप्रयाग

  
उप वन संरक्षक  
प्रभागीय वन अधिकारी  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग  
रुद्रप्रयाग


P.C Attested  
  
सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०  
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील-ऊखीमठ के अन्तर्गत हाट-बष्ठी मोटर मार्ग को एन०एच०-107 से जोड़ने के लिये मन्दाकिनी नदी पर शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु 0.060 है० वनभूमि भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

एन०पी०वी० की बढी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशी जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन०पी०वी० की देय धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा एन०पी०वी० की धनराशि में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की अतिरिक्त धनराशि भी लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।

  
कनिष्ठ अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग  
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

  
सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग  
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

  
अधिशारी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग  
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

P.C Attested

  
सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०  
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)